न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार झिंगोनिया)
प्रकरण/प्रार्थना पत्र/एल.आर. 136/मु0नं0 08/2024
जी0सी0एम0एस0 नम्बर 2024/10

1. टीकमचन्द पुत्र लाला जाति रावत निवासी बनेड़ियां तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः—19.03.2025

उपस्थितः— श्री प्रवीण प्रकाश भट्ट, श्री शिवकुमार जोशी अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम

वकील पक्षकारान उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा बालापुरा पटवार हल्का हियालियां, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र एकलसिंगा तहसील भिनाय की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2074—2077 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 42 स्थित खसरा नं. 634/354 रकबा 0.31 हैक्ट0 किस्म बारानी—3 और खसरा संख्या 635/634 रकबा 0.01 हैक्ट0 किस्म गै0मू0 चाह प्रार्थी की आवंटनशुदा कब्जाकाश्त की आराजीयात है। उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी ही उक्त आराजीयात के एकमात्र तन्हा मालिक है। प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य उपयोग व उपभोग से लगातार अनवरत निर्विवाद करता चला आ रहा है। प्रश्नगत आराजी के वर्तमान खसरा संख्या 634/354 और 635/634 प्रार्थी को आवंटित मूल खसरा संख्या 635/354 के भाग है।

प्रार्थी द्वारा उक्त उक्त वर्णित मूल खसरा संख्या 335/354 पर नवीन चाह दर्ज करवाने के लिये आवेदन दिये जाने के बाद नामान्तरण संख्या 205 दिनांक 24.04.2017 द्वारा जरिये आदेश खसरा संख्या 635/354 में से 642/635 रकबा 0.01 हैक्ट0 गै0मू0 चाह का नवीन अंकन स्वीकार हुआ था, व शेष खसरा संख्या 635/354 रकबा 0.31 हैक्ट0 बदस्तूर रहा। उक्त वर्णित आराजीयात के ऑनलाईन सेग्रीगेशन के समय नामान्तरण संख्या 205 के अनसुार नवीन चाह खसरा संख्या 642/635 के स्थान पर खसरा संख्या 635/634 दर्ज हो गया। और खसरा संख्या 634/354 रकबा 0.31 हैक्ट0 राजस्व रिकॉर्ड नक्शे में खसरा संख्या 633 /634 के स्थान पर दर्शा दिया गया। प्रार्थी के कब्जा काश्त की आराजी पर बड़ा रकबा खसरा संख्या 633/354 में दर्शा दिया गया है। जो गलत है। जबकि प्रार्थी का खसरा संख्या 634/354 रकबा 0.31 हैक्ट0 खसरा संख्या 353 के लगवा व प्रार्थी के गै0मू0 चाह के साथ ही राजस्व रेकॉर्ड नक्शे राजस्व कर्मचारियों द्वारा तरमीम किया जाना था। परन्तु भूलवश लिपिकीय लेखनी त्रुटी से ऑनलाईन सेग्रीगेशन के समय प्रार्थी के उक्त खसरा संख्या 634/354 रकबा 0.31 को बडे रकबे पर गलत तरमीम कर दिया गया। प्रार्थी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वर्णित आराजी का रकबा व खसरा संख्या सही है परन्तु राजस्व रेकॉर्ड नक्शे में बडे रकबे में गलत दर्शा दिया गया है। प्रार्थी के उक्त खसरा संख्या 634/354 रकबा 0.31 हैक्ट0 को राजस्व रिकॉर्ड नक्शे में सही रकबे पर तरमीम किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है।

CamScanner

जिसे दुरूस्त करवाने हेतु न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को आवंटित हुए मूल खसरा संख्या 635/354 के भाग में नवीन चाह के नामान्तरण संख्या 205 दिनांक 24.042017 अनुसार खसरा संख्या 635/354 में से 642/635 रकबा 0.01 हैक्ट0 चाह व शेष खसरा संख्या 635/354 रकबा 0.31 हैक्ट0 अनुसार तरमीम तरमीम दुरूस्त कराने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी तहसीलदार भिनाय को वास्ते जवाब जरिये सम्मन तलब किया। प्रकरण के सन्दर्भ में तहसीलदार भिनाय द्वारा जरिये जवाब प्रार्थना–पत्र अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसकी एक प्रति वकील प्रार्थी को दिलवायी जाकर शामिल मिशन किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाती है।

प्रार्थी अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार को पत्रावली के सन्दर्भ में सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित कथन दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार दौराने बहस जवाब प्रार्थना–पत्र के अनुसार कथन करते हुए, निवेदन किया कि सेग्रीगेशन जमाबन्दी के लेखन के समय राजस्व मानचित्र में वन–टू–वन मेपिंग के दौरान उक्त खसरा सख्या में नाम, रकबा व खसरा संख्या में सहवहन से तरमीम करते समय त्रुटी हो गयी है। जिसे दुरूस्त करने बाबत् खसरा संख्या 634/354 का रकबा 0.31 हैक्ट0 के स्थान पर 1.36 हैक्ट0 किया जाकर खाता संख्या 93 में स्थानान्तरण किया जाना उचित है। साथ ही खसरा संख्या 633/354 का रकबा 1.36 हैक्ट0 के स्थान पर 0.31 हैक्ट0 दुरूस्त किया जाकर खाता संख्या 42 में स्थानान्तरण किया जाना उचित होगा। बहस उभयपक्षकार सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते आदेश नियत की गई।

–: आदेश :–

मेरे द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजात, जवाब तहसीलदार भिनाय मय पटवारी रिपोर्ट एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्षकार पर मनन किया गया। बाद उक्त अवलोकन एवं मनन प्रकरण में दौराने सेग्रीगेशन में त्रुटी होना पाया गया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अनुतोष योग्य होने से स्वीकार किया जाकर, खसरा संख्या 634/354 का रकबा 0.31 हैक्ट0 के स्थान पर 1.36 हैक्ट0 किया जाकर खाता संख्या 93 में स्थानान्तरण किया जाने के आदेश पारित किये जाते है। साथ ही खसरा संख्या 633/354 का रकबा 1.36 हैक्ट0 के स्थान पर 0.31 हैक्ट0 दुरूस्त किया जाकर खाता संख्या 42 में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार भिनाय को आदेशित किया जाता है कि निर्णय अनुसार पालना की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की जाकर पालना से अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। नंबर से कम दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, अजमेर

CamScanner